-प्रेस नोट-

दिनांकः 29-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 किलो डोडा व 01 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण हेतु अवैध नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **1.अजीत पुत्र नेकी राम निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** एवं **2. जगतार सिंह पुत्र लाभ सिंह निवासी मौ0 भगवान नगर कस्बा व थाना पीपली जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा** को ग्राम झबीरन को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 20 किलो डोडा एवं 01 मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस HR01W4054 बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 – 46/24 धारा 8/15C/60(3) एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम अनपढ़ है तथा नशे के आदी है बाहर से सस्ते दामों में लाकर गांव के लोगो, मजदूरो व ट्रक चालको को ज्यादा पैसों में बेच देते है। जिससे हमे काफी मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अजीत पुत्र नेकी राम निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. जगतार सिंह पुत्र लाभ सिंह निवासी मौ0 भगवान नगर कस्बा व थाना पीपली जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा

बरामदगी का विवरणः-

- 20 किलो डोडा
- 01 मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस HR01W4054

अभियुक्त अजीत का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 – 319/23 धारा 63 आ0अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 - 46/24 धारा 8/15C/60(3) एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

अभियुक्त जगतार सिंह का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 - 46/24 धारा 8/15C/60(3) एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र , थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 892 अजय राठी सिह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1259 विनीत थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांकः 29.02.2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर 01 आलाकत्ल छुरी व रक्त रंजित अभियुक्त का कुर्ता पाजामा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.02.2024 को वादी राशिद पुत्र मन्जूर अहमद निवासी मौ0 पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. मुन्तजीर व 2. नदीम द्वारा वादी के पुत्र शावेज के गले पर जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर घायल करने व शावेज की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनि0 पर मु0अ0सं0 56/2024 धारा 302/34 भादवि व धारा 4/25 शस्त्र अधि0 अभियोग पंजीकृत किया गया था

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त मुन्ती उर्फ मुन्तजिर पुत्र आबिद नि0 मो0 पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर** को दिल्ली रोड नन्दपुर कट के करीब 50 कदम सहारनपुर की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 आलाकत्ल छुरी व अभियुक्त का रंजित कुर्ता पाजामा बरामद। अभियुक्त मुन्ती उर्फ मुन्तजीर के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मुन्ती उर्फ मुन्तजीर ने पूछने पर बताया कि मै पढालिखा नही हूँ, सावेज ने मेरे व मेरी बेटी के साथ गाली गलोच करते हुये गलत शब्द बोले थे, इसलिये मैने गुस्से मे आकर सावेज के गले पर चाकू मार दिया था। जिससे ईलाज के दौरान उसकी जान चली गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुन्ती उर्फ मुन्तजिर पुत्र आबिद नि0 मो0 पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0स0 83/15 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 272/273/420 भादवि व 207 मोटरयान थाना
मु0अ0स0 282/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि थाना रामपुर मनि0
मु0अ0स0 172/20 धारा 60(1) आवकारी अधि0 व 188/269/270/272/273 भादवि थाना रामपुर मनि0
मु0अ0स0 150/21 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0
मु0अ0स0 66/21 धारा 8/60/21/29 एनडीपीएस अधि0 थाना गंगोह

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री अमित सिह थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

3. व0उ0नि0 श्री विनय शर्मा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
5. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

दिनांकः 29.02.2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **सुल्तान पुत्र वहीद निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** वाद संख्या 203/24 मु0अ0सं0 23/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वांरटी का नाम व पताः-

सुल्तान पुत्र वहीद निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र अधाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. का0 2321 बबलू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांकः 29-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.02.2024 को श्री इस्तकार पुत्र श्री शमसुद्दीन निवासी मौ0 सुजादपुरा कस्बा व थाना नकुड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र समीर के पर जान से मारने की नीयत से फायर कर घायल कर देने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 45/24 धारा 307 भा0द0वि0 बनाम 1. आकाश राणा पुत्र रमेश 2. सूरज पुत्र रामू निवासीगण ग्राम टाबर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 3.सैंकी पुत्र नामालूम निवासी यमुनानगर 4. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.02.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सूरज पुत्र रामू निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को नकुड़ शहाजहाँ रोड ग्राम टाबर तिराह के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अभियुक्तगणों की तलाश की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सूरज ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं समीर पुत्र इस्तकार निवासी मौ0 सुजातपुरा कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को काफी समय से जनता हूँ हम दोनो पहले साथ साथ पढ़ाई करते थे करीब 01 साल पहले समीर की मेरे साथ लड़ाई हो गयी थी उसके बाद समीर बाहर नौकरी करने चला गया था। मुझे समीर दो तीन दिन पहले कस्बा नकुड़ में मिला था तो हम दोनो की पुरानी बातो को लेकर कहासुनी हो गयी थी और समीर ने मुझे गन्दी गन्दी गालियाँ दी थी मुझे दिनांक 28.02.24 को जानकारी हुई कि समीर सरकारी अस्पताल के पास खड़ा है तो मैं व मेरा दोस्त आकाश पुत्र रमेश नि0 ग्राम टाबर मोटर साईकिल से सीएचसी नकुड़ पहुँचे तो वहाँ पर समीर काफी लड़को के साथ मौजूद था मेरे व समीर के बीच कहा सुनी होने लगी तो समीर ने मुझे गन्दी गन्दी गालियाँ देने शुरु कर दी और हम दोनो में हाथापाई शुरु हो गई तभी मौके पर मेरा दोस्त सैंकी पुत्र नामालूम नि0 यमुनानगर हरियाणा आ गया जिसने हम दोनो का बीच बचाव कराने की कोशिश की थी लेकिन समीर ने मेरे साथ मारपीट शुरु कर दी तो आकाश के द्वारा तमंचे से उन लोगो को डराने के लिए फायर किया जिससे समीर के बाजू में गोली लग गई। गोली लगते ही हम लोग वहाँ से डर कर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सूरज पुत्र रामू निवासीगण ग्राम टाबर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री मौ0 जहाँगीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

3. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 29-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 वारन्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/ वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तगण 1.**बादल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम चंन्देना कोली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को संबंधित एसटी न0 1377/21 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. **नाटा पुत्र सत्तार निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित एसटी न0 1198/05 धारा 379 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3. **सरदार पुत्र लालू निवासी ग्राम जटौली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 2630/99 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर एंव वाद संख्या 2734/99 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर 4. **अभियुक्त नीटू पुत्र धर्मपाल निवासी तैय्यबपुर बडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित एसटी नं0 646/19 , मु0अ0सं0 766/19 धारा 354ख/376/323/506 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उपरोक्त सभी 04 वारण्टीयो को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार वारण्टीयो के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. बादल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम चंन्देना कोली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. नाटा पुत्र सत्तार निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. सरदार पुत्र लालू निवासी ग्राम जटौली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4. नीटू पुत्र धर्मपाल निवासी तैय्यबपुर बडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 आजाद सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का0 2398 अमरजीत सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. है0का0 338 रविन्द्र गिरि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. है0का0 528 विट्टू कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7. का0 478 पंकज सैनी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
8. का0 1076 मनोज धामा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 29-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण,कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने व वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नानौता अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.02.2024 को 02 वारण्टी अभियुक्तगण1. **गुल्लु उर्फ हिमांशु पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम बरसी थाना तीतरो जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1270/15, अ0सं0 226/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट 2. **नीलू उर्फ लीलू पुत्र कन्टू निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जिला सहारनपुर को** सम्बन्धित वाद संख्या 2127/22 अ0स0 94/17 धारा 452/354 भादवि व वाद संख्या 1959/22 अ0सं0 190/2003 धारा 379/411 भादवि को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टीयों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटियो के नाम व पता –

1. गुल्लु उर्फ हिमांशु पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम बरसी थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. नीलू उर्फ लीलू पुत्र कन्टू निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ0नि0 नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 बिजेन्द्रपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांकः 29.02.2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा गुम हुए मोबाइल को बरामद कर पीडिता को वापस किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा पीडिता का सैमसंग जे4 मोबाइल वाऊ ब्यूटीपार्लर से रायवाला होते हुए दिनांक 02.2.2024 समय शाम 6.42 बजे अपने घर जाते समय प्रतापनगर चौक पर गुम हो गया था । पीडिता की मौखिक सूचना पर सर्विलांस सैल से समन्व्य स्थापित कर आज दिनांक 29.2.2024 को पीडिता का मोबाइल सैमसंग जे4 बरामद कर वापस कराया गया। पीड़िता द्वारा थाना मण्डी पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी।

बरामदगी-

- सैमसंग जे 4 मोबाईल

बरामद करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 योगेश थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अवैध शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार ,कब्जे से 11 बोतल हरियाणा मार्का रसीला माल्टा व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण,अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 29.02.2024 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गश्त/चैकिंग के दौरान 01अभियुक्त **अयान पुत्र एजाज मेहन्दी ,निवासी हुसैन बस्ती,शकलापुरी रोड थाना मण्डी जिला सहारनपुर को** 62 फुटा रोड,मण्डी क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 11 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 अपाचे माटरसाईकिल (सफेद रंग) UP 11 AX-4748 बरामद की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 60/2024 अन्तर्गत धारा 63/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया तथा मोटरसाईकिल नम्बर **UP 11 AX-4748 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी अधि0 में सीज की गयी । गिरफ्तार** अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं कम पढा लिखा हूँ, हरियाणा राज्य से सस्ते दामो में शराब खरीदकर आस पास के क्षेत्रो में अधिक दाम में बेच देता हुँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।आज भी मैं शराब बेचने जा रहा था तभी पुलिस टीम द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अयान पुत्र एजाज मेहन्दी ,निवासी हुसैन बस्ती,शकलापुरी रोड थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 11 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का रंसीला माल्टा देशी शराब ।
- 01 अपाची सफेद रगं की मोटरसाइकिल नम्बर UP 11 AX-4748 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर ।
2. हे0का0 906 विपिन राठी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर ।
3. का0 2367 योगेश कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

दिनांकः 29-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.02.2024 को 01 वारंटी अभियुक्त **जहाँगीर पुत्र सगीर अहमद नि0 उत्तम नगर गाली हबीबगढ रोड दुन पैलेस के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 8/19 मु0अ0सं0 754/18 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कुतुबशेर (स्पेशल जज एन0डी0पी0एस0 एक्ट कक्ष संख्या – 12 सहारनपुर) को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जहाँगीर पुत्र सगीर अहमद नि0 उत्तम नगर गाली हबीबगढ रोड दुन पैलेस के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रामबाबू सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 1823 श्रवण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 29.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ सहारनपुर पुलिस द्वारा महिला को गोली मारकर घायल करने वाले अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.01.2024 को वादी राशिद पुत्र कामिल नि0 ग्राम टिडौली थाना नकुड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बाबत मोटर साईकिल पर सवार अभियुक्तगण 1. नावेद उर्फ सादा पुत्र कौशर 2. आवेश पुत्र भूरा नि0 गण ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर 3. फैजान पुत्र नवाब नि0 ग्राम नवाजपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भांजे सुहेल व पुत्र वासिल के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर जान से मारने की नियत से फायर करना जिससे पडोस की महिला जयतून पत्नी यासीन को गोली लग जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 17/24 धारा 323/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त अवैध हथियारों की बरामदगी हेतु निर्देश दिए गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.02.2024 को मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त कल्लू उर्फ नावेद उर्फ सादा पुत्र कौशर निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को पीसीआर पर लाकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त कल्लू उर्फ नावेद के विरुद्ध धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त कल्लू उर्फ नावेद उपरोक्त ने बताया कि मैं तथा कादिर पुत्र मदन उर्फ इरशाद निवासी ग्राम बाईखेड़ी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर, आवेश पुत्र भूरा नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर व फैजान पुत्र नवाब निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर, हम सभी लोग आपस में मित्र हैं। दिनांक 26.01.2023 को मेरे साथी फैजान ने फोन करके कादिर को बताया था कि नावेद उर्फ सादा व आवेश का झगड़ा टिडौली के वासिल व उसके भाई के साथ हो गया है, उसको गोली मारेंगे तुम आ जाओ। इस पर मैं तथा कादिर , आवेश व फैजान अपने- अपने तमंचे अपने साथ लेकर ग्राम टिडौली में वासिल के घर के पास आ गये थे तो घर के बाहर वासिल और उसका भाई जिसका नाम सुहेल था, वे खड़े थे, उनको देखकर हम चारों ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से उनपर गोली चला दी थी लेकिन फायरिंग में वे दोनो बच गये थे और उसी समय एक महिला जो उन्हे बचाने के लिये आ गयी थी तो हमने उसको गोली मार दी थी। लोगो की भीड़ को आता देख हम सभी लोग वहाँ

से भाग गये थे।। घटना के समय मेरे पास जो तमंचा था, वह मैनें घाटमपुर के जंगल में छुपा दिया था जिसे मैने पुलिस टीम को बरामद करा दिया है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

कल्लू उर्फ नावेद उर्फ सादा पुत्र कौशर निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 18/24 धारा 414/307 भादवि 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिहं भड़ाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 29.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा सहारनपुर पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल चोरी के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.10.2022 को वादी श्री नरेश कुमार पुत्र सन्तुराम निवासी ग्राम बुन्दुगढ थाना ननौता जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी की मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंद में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 392/2022 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात विरूद्ध पंजीकृत किया गया ।विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 की वृद्धि की गयी व प्रकाश मे आये अभि0 कैलाश उर्फ रोकी पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम खेडा थाना इन्द्री जिला करनाल हरियाणा लगातार फरार चल रह था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। इस आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान **अभियुक्त कैलाश उर्फ रोकी पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम खेडा थाना इन्द्री जिला करनाल हरियाणा** को **ग्राम असदपुर के पास से** गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्क के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कैलाश उर्फ रोकी पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम खेडा थाना इन्द्री जिला करनाल हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 महेश सिहँ कुमार कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

2. हे0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3.हे0का0 1006 तरूण कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को नोटिस तामील कराकर जनपद की सीमा से निस्कासित किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियो के विरूद्ध लगातार कडी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना नानौता के कुशल नेतृत्व में अभि0 **आमिर पुत्र इकबाल नि0 ग्राम बुन्दुगढ थाना नानौता सहारनपुर** को गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्यवाही कर एडीएम महोदय (प्रशासन) के आदेशानुसार जिलाबदर घोषित किये जाने के आदेश के अनुपालन में थाना नानौता पुलिस द्वारा अभि0 उपरोक्त के घर पर उसे मौजूद मिलने पर जिला बदर का नोटिस तामील कराकर तथा लाउड स्पीकर व मुनादी कराते हुए विधि पूर्वक नोटिस तामील कराया गया । तथा अभि0 उपरोक्त को जिला बदर के सम्बन्ध मे पूर्ण हिदायत करते हुए जनपद सहारनपुर की सीमा से थाना क्षेत्र मे मिलने वाली जनपद शामली की सीमा मे छोडा गया।

जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता –

आमिर पुत्र इकबाल नि0 ग्राम बुन्दुगढ थाना नानौता सहारनपुर।

जिला बदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 0170/2021 धारा 392/411 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 0171/2021 धारा 307/34 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 0172/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 0174/2021 धारा 414/465/420 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
5. बीट सूचना रपट न0 32 दिनांक 22.12.2023 थाना नानौता सहारनपुर।

नोटिस तामील करने वाली पुलिस टीम-

3. थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. है0का0 830 राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. एचजी 2030 जीशान खान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

(प्रेस नोट)

दिनांकः 29.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मुकदमें में वांछित चल रहे 01 शातिर बदमाश/अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 02.02.2024 को चैकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0सं0 36/24 धारा 307/414 भादवि बनाम शोएब व अन्य के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहे वांछित **अभियुक्त शोएब पुत्र इरफान निवासी ग्राम घान्ना खण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के दौरान धौलरा घाट यमुना नदी के पास से घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा देशी 315 बोर सहित 01 जिन्दा व 01खोखा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 63/24 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मै और मेरा साथी अब्दुल सत्तार रात्रि में आवारा घुमते पशुओं को पकडकर जंगल में एकान्त स्थान पर ले जाकर गौकशी करके मांस को मुस्लिम बस्तियों में बेच देते थे। जिससे हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती थी। दिनाँक 02.02.2024 को भी हम गौकशी की घटना को अन्ज़ाम देने जा रहे थे। जब हम मोटरसाइकिल से घान्ना खण्डी से बेहट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ग्राम ताजपुरा से आगे पुलिस चैकिंग कर रही थी तो हमने बचने के लिए पुलिस पर फायर कर दिया तथा बाबैल पावर हाउस की तरफ भाग लिये जहाँ पर हमे पुलिस के द्वारा घेर लिया तथा हमने फिर से फाईरिंग शुरू कर दी तथा मेरा साथी अब्दुला सत्तार पुत्र जिन्दा हसन मौके पर गिरफ्तार कर लिया था तथा मै अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था। और आज मुझे जानकारी हुई थी कि पुलिस मेरी तलाश कर रही है, मै आज नदी के रास्ते हरियाणा भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

शोएब पुत्र इरफान निवासी ग्राम घान्ना खण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

बरामदगी

01 तमन्चा देशी 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना बेहट जिला सहारनपुर
4. है0का0 586 राजीव पंवार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 1594 मोहित धामा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शोएब पुत्र इरफान आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 390/23 धारा 120-B, 380, 411, 457--- थाना बेहट
2. मु0अ0सं0 412/23 धारा 120-B, 379, 411 - थाना बेहट
3. मु0अ0सं0 412/23 धारा 120-B, 379, 411भादवि ------- बेहट
4. मु0अ0सं0 477/23 धारा 307/420 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट -- बेहट
5. मु0अ0सं0 141/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट ---- बिहारीगढ
6. मु0अ0सं0 152/22 धारा 307 भादवि -- बिहारीगढ
7. मु0अ0सं0 155/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट ---- बिहारीगढ
8. मु0अ0सं0 156/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 ------ बिहारीगढ
9. मु0अ0सं0 157/22 धारा 414 भादवि --- बिहारीगढ
10. मु0अ0-सं0 228/22 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 ---- बिहारीगढ
11. मु0अ0सं0 118/23 धारा 120/307/465 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट--------- सरसावा
12. मु0अ0सं0 36/24 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट -------- बेहट

दिनांक: 29-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछितवारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी / रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा हेतु चलाये जा थाना प्रभारी बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व मेथाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.02.2024 को तीन वारण्टी अभियुक्तगण **1. सुशील उर्फ शालू पुत्र विनोद कुमार निवासी कालूवाला उर्फ पहाडीपुर थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर** सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 6285/23 क्राईम नम्बर 77/23 धारा 452/354/354ख भादवि चालानी थाना बिहारीगढ़ को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया **2. अभियुक्त फैजान पुत्र इलताफ निवासी मौ0 किशनगढ कालोनी कस्बा व थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर** सम्बन्धित केस नम्बर 199/21 क्राईम नम्बर 551/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया, तथा **3. अभियुक्त प्रीतम सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी रामावस्ती अब्दुल्लापुर थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर** सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 983/21 क्राईम नम्बर 54/20 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना बिहारीगढ़ को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सुशील उर्फ शालू पुत्र विनोद कुमार निवासी कालूवाला उर्फ पहाडीपुर थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर
2. फैजान पुत्र इलताफ निवासी मौ0 किशनगढ कालोनी कस्बा व थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर
3. प्रीतम सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी रामावस्ती अब्दुल्लापुर थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम

1. उ0नि0 श्री वेदप्रकाश थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर
3. है0का0 127 विनीत कुमार थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर
4. है0का0 233 राकेश कुमार थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार,कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.02.2024 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गश्त/ चैंकिगं के दौरान 01 **अभियुक्त शुभम उर्फ ईशु पुत्र राकेश निवासी शिव विहार कालौनी कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को आई0टी0आई0 ग्राउड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चोरी की मोटर साईकिल होण्डा सी0बी0 साइन जिसके आगे की नम्बर प्लेट पर रजि0 न0 UP 11 AK 0340 रंग लाल एवं पीछे की नम्बर प्लेट पर कोई नम्बर अंकित नहीं है बरामद की गयी। अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना मण्डी पर दिनांक 23.12.2023 को मु0अ0सं0- 357/2023 धारा 379 अभियोग पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त शुभम उर्फ ईशु उपरोक्त के विरूद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 90/2024 अन्तर्गत धारा 414/420/465 भा0द0वि0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि जो मोटरसाईकिल आज पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद की गयी है वो मैनें टीन टोयज स्कूल,थाना मण्डी के गेट के सामने से से चोरी की थी तथा इसके नम्बर प्लेट उतारकर फेंक दी थी तथा लोगों को धोखा देने की नियत से इस पर फर्जी नम्बर प्लेट UP 11 AK 0340 लगा दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

शुभम उर्फ ईशु पुत्र राकेश निवासी शिव विहार कालौनी कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0162/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0472/22 धारा 379/411 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 357/23 धारा 379/120बी भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं090/24 धारा 420/414/465 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 चोरी की मोटरसाईकिल

01 फर्जी नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 संजीव कुमार त्यागी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 742 विनोद यादव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा नाबालिग से कुकर्म करने वाला 01 कुकर्मी अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.02.2024 को वादिया द्वारा थाना बिहारीगढ़ पर उपस्थित आकर लिखित तहरीर बाबत वादिया के पुत्र के साथ वादिया के बहनोई द्वारा कुकर्म किये जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 18/2024 धारा 377/506 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ के द्वारा मय हमराही कर्मचारीगणों के आज दिनांक 29.02.2024 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **राजबीर पुत्र सिखपाल निवासी ग्राम खुशहालीपुर कला थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर** को सुन्दरपुर तिराहे के नीचे पुल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राजबीर पुत्र सिखपाल निवासी ग्राम खुशहालीपुर कला थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 615 नीटू कुमार थाना बिहारीगड जनपद सहारनपुर
4. का0 2071 इस्लाम थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

दिनांक- 29.02.2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वांरटी अभियुक्त **पाल्ला पुत्र गफूर निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या—3897/2023 धारा—3/5/8 सीएस एक्ट को दिनांक 29.02.2024 अभियुक्त के मस्कन ग्राम दुधगढ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

पाल्ला पुत्र गफूर निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0—162/2019 धारा- 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—359/2019 धारा— 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 2026 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांक- 29.02.2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में चिलकाना पुलिस टीम द्वारा एक वांरटी अभियुक्त **काला पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ0 कांजीमल कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या—3157/2023 धारा—60/72 आबकारी अधिनियम को दिनांक 29.02.2024 को अभियुक्त के मस्कन मौ0 कांजीमल कस्बा सुल्तानपुर से_गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभियुक्त काला पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ0 कांजीमल कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0—295/16 धारा- 60/72 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

मु0अ0सं0—258/17 धारा—60/72 आबकारी अधिनियम व 468/471 भादवि थाना चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 करण नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांक- 29.02.2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त का जिला बदर नोटिस किया गया चस्पा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध लगातार कडी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षख नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्त्व थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त फरमान पुत्र इमरान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर को नशा तस्करी में प्रभावी कार्यवाही कर श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय (वित्त एवं राजस्व) के अदेशानुसार जिला बदर घोषित किये जाने के आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा अभियुक्त फरमान उपरोक्त के जिला दर के नोटिस को अभियुक्त के घर पर ना मिलने व घर पर ताला लगा होने कारण अभियुक्त के मकान पर चस्पा कर मुनादी करायी गयी।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पताः-

1. फरमान पुत्र इमरान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

जिला बदर अभियुक्ता आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0— 050/2022 धारा--- 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0—168/2022 धारा—8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।

मुनादी कराने वाली टीमः-

1. श्री कपिल देव थानाध्यक्ष थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. उ0नि0 करण नागर थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. है0का0 479 अमित कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
5. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-03 जनपद सहारनपुर द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.2012 को वादी प्रताप सिंह पुत्र सौरव निवासी नंगली नौर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के भाई बलजोर को अभियुक्तगण 1. संजय पुत्र चमन सैनी 2. बबलु पुत्र बालेन्द्र व 3. सोनी पुत्र कालु सैनी समस्त निवासीगण ग्राम कुरलकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा शराब पिलाने के बहाने बुलाकर लाठी डण्डों आदि से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने व उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने की सूचना पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 535/2012 धारा 304,34 भादवि के पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1434/2023 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 03 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 29.02.2024 को अभियुक्त संजय पुत्र चमन सैनी को मु0अ0सं0 535/2012 धारा 304,34 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट- 02 अभियुक्तगणो 1. बबलु पुत्र बालेन्द्र व 2. सोनी पुत्र कालु सैनी निवासीगण नि0 कुरलकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को दिनांक 19.07.2023 को सजा हो चुकी।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री दीपक सैनी मो0 नं0-9927453627
विवेचक श्री बिजेन्द्र सिंह मो0 नं0- 9758743820
पैरोकार है0का0 994 विपिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय एसीजेएम देवबन्द सहारनपुर द्वारा लूट के मामले में अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास तथा 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 21.09.2014 को वादी सलीम पुत्र षब्बीर निवासी ग्राम राजुपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. जावेद पुत्र खिलाफत निवासी मौ0 रविदास मन्दिर के पास कस्बा बघरा थाना तितावी मुजफ्फरनगर द्वारा मारपीट कर वाहन संख्या UP 11 K 1855 व मोबाइल सैमसंग कम्पनी को लूटकर ले जाने की सूचना पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 720/2014 धारा 392,411 भादवि के पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 319/2014 पर माननीय न्यायालय एसीजेएम देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय एसीजेएम देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 29.02.2024 को अभियुक्त 1. जावेद पुत्र खिलाफत को मु0अ0सं0 720/2014 धारा 392,411 भादवि में जुर्म इकबाल के आधार पर 07 वर्ष का कारावास व 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट- अन्य अभियुक्तगणो की फाईल अन्य मा0 न्यायालय में विचारीधीन हैं।

शासकीय अधिवक्ता (एपीओ) मौ0 अहमद मो0 नं0-
विवेचक उ0नि0 श्री जोगिन्दर सिंह विवेचक
पैरोकार है0का0 180 कपिल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर